आवश्यक

पंचायत आम चुनाव, 2021

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION
BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांकः– पं०नि० 30–240/2021 3351

प्रेषक,

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी –सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।

पटना, दिनांक– 28.08.2021

विषयः– पंचायत आम निर्वाचन, 2021; मतदान हेतु "कमीशन्ड ई.वी.एम. हेतु वज्रगृह" तथा "पोल्ड ई.वी.एम. को रखने हेतु वज्रगृह" की स्थापना के संबंध में।

प्रसंगः– राज्य निर्वाचन आयोग का पत्रांक– 3151 दिनांक– 18.08.2021

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर चार पदों यथा :–ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य तथा जिला परिषद् के सदस्य पद का निर्वाचन ई.वी.एम. के माध्यम से कराया जाना है। जिला स्तर पर ई.वी.एम. की प्रथम स्तरीय जाँच का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ई.वी.एम. की कमीशनिंग का कार्य किया जाना है। उक्त के संबंध में स्पष्ट है कि :–

क. ई.वी.एम. की कमीशनिंग का कार्य प्रखण्ड में स्थान की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

ख. कमीशनिंग के पश्चात् कमीशन्ड ई.वी.एम. को मतदान के पूर्व (Prepolled EVM) वज्रगृह में रखा जाएगा।

ग. वज्रगृह दो या तीन पंचायत पर भी कमरे की क्षमता को देखते हुए अधिष्ठापित किया जा सकता है।

घ. वज्रगृह में कमीशन्ड ई.वी.एम. को मतदान केन्द्रवार रखा जाएगा। उक्त के संबंध में मॉडल रेखाचित्र, पत्र के साथ **'अनुलग्नक–A'** के रूप में संलग्न है।

ङ. वज्रगृह से निर्धारित तिथि को गश्ती दल दंडाधिकारी को संबद्ध (tagged) मतदान केन्द्र हेतु चिह्नित ई.वी.एम. उपलब्ध कराया जाएगा।

मतदान की समाप्ति के पश्चात् पोल्ड ई.वी.एम. एवं मतपेटिकाओं को जिला मुख्यालय स्थित संग्रहण केन्द्र पर प्राप्त किया जाएगा एवं मतगणना जिला मुख्यालय में की जाएगी। संग्रहण केन्द्र पर ई.वी.एम. /मतपेटिका एवं अन्य सामग्री को निम्न प्रकार के प्राप्त

किया जाएगा एवं पदवार निर्मित वज्रगृह में रखा जाएगा :–

क. संग्रहण केन्द्र पर पंचायतवार रीसिविंग काउंटर की व्यवस्था की जाएगी।

ख. दो या तीन पंचायत पर एक काउंटर की व्यवस्था आवश्यकतानुसार की जा सकती है।

ग. संग्रहण केन्द्र पर अनावश्यक रूप से ज्यादा भीड़ न हो तथा सहूलियत से सामग्री जमा हो जाए, इस हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से परामर्श कर पर्याप्त संख्या में रीसिविंग काउंटर की व्यवस्था करेंगे।

घ. मुख्य काउंटर के पीछे पदवार ई.वी.एम. एवं मतपेटिका को प्राप्त करने हेतु 05 सब–काउंटर की व्यवस्था की जाएगी।

ङ. उक्त सब–काउंटर से पदवार चिह्नित वज्रगृह में संबंधित पद के ई.वी.एम. एवं आवश्यक प्रपत्र (पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा, मतपत्र लेखा एवं पेपरसिल लेखा) को पदवार चिह्नित वज्रगृह में यथास्थान पर रखा जाएगा।

च. पदवार चिह्नित सब–काउंटर से उस पद विशेष के वज्रगृह में पोल्ड ई.वी.एम. तथा मतपेटिका को ले जाया जाएगा।

छ. इस प्रकार कुल पाँच वज्रगृह अधिष्ठापित होंगे जो अलग–अलग पद यथा– ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य हेतु अलग–अलग वज्रगृह एवं पंच/सरपंच हेतु एक वज्रगृह के रूप में होगा। मॉडल रेखाचित्र अनुलग्नक–B पर संलग्न।

ज. यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि किसी पद विशेष का ई.वी.एम. दूसरे पद विशेष हेतु चिह्नित वज्रगृह में न जा सके। इसके लिए पदवार वज्रगृह से मतगणना कक्ष तक मार्ग की घेराबंदी कर दी जाए। उक्त हेतु पद विशेष के लिए अलग–अलग पदाधिकारी एवं कर्मी पूर्व से चिह्नित एवं प्राधिकृत होंगे।

विदित हो कि मतदान के पश्चात् निम्नांकित सामग्री वज्रगृह में रखी जाएगी:–

क. पोल्ड ई.वी.एम./पोल्ड मतपेटिका

ख. मतपत्र लेखा

ग. पेपरसील लेखा की प्रति (सीलबंद)

घ. पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा (सीलबंद)

निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निम्नांकित सामग्री रीसिविंग काउंटर पर प्राप्त करने के पश्चात् अपने पर्यवेक्षण में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मी द्वारा अलग–अलग फोल्डर में संधारित किया जाएगा।

क. पीठासीन पदाधिकारी की डायरी

ख. मतपत्र लेखा एवं पेपरसील लेखा की द्वितीयक प्रति

ग. विजिट शीट

घ. वोटर टर्न आउट रिपोर्ट

निर्वाची पदाधिकारी द्वारा स्टैच्युटरी, नन–स्टैच्युटरी एवं अन्य पैकेट्स को रखने के लिए अलग–अलग वज्रगृह चिह्नित किया जायेगा। विदित हो कि पदवार चिह्नित वज्रगृह के पार्श्व में ही यथासंभव उस पद के लिए मतगणना कक्ष का निर्माण किया जाएगा। **पंच एवं सरपंच पद के लिए अलग से एक अतिरिक्त मतगणना कक्ष का निर्माण कराया जाए।** यानि कुल छः मतगणना केन्द्र बनाया जाए ताकि मतगणना का कार्य तेजी से सम्पन्न कराया जा सके एवं ई.वी. एम. तथा मतपत्र की गणना का कार्य एक साथ सम्पन्न हो सके।

निदेशानुसार उपरोक्त अंकित निदेशों का अनुपालन कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नकः– यथोक्त

विश्वासभाजन

सचिव

ज्ञापांक :– पं0नि0 30–240/2021 3351 पटना, दिनांक– 28.8.2021

प्रतिलिपि : आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग को वेबसाईट पर पत्र को अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक :– पं0नि0 30–240/2021 3351 पटना, दिनांक– 28.8.2021

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं अनुश्रवण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित ।

सचिव

ज्ञापांक :– पं0नि0 30–240/2021 3351 पटना, दिनांक– 28.8.2021

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

तैयार ईवीएम (Commissioned EVM) रखने हेतु वज्रगृह का नमूना

पंचायत का नाम .... मतदान केन्द्र संख्या .... से ....तक

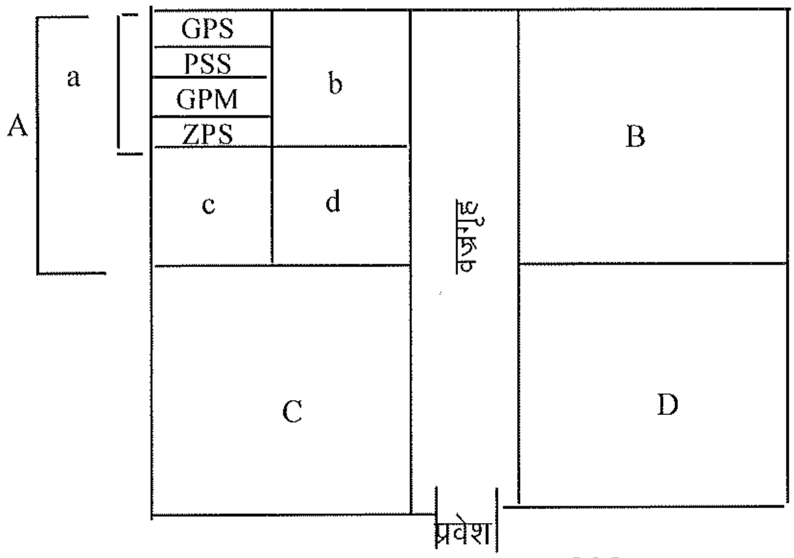

* A/B/C/D - पंचायत हेतु चिह्नित बड़ा खाना।

* a/b/c/d - मतदान केन्द्र हेतु चिह्नित मध्यम खाना।

* GPS/PSS/GPM/ZPS - पदवार चिह्नित छोटा खाना।

मतदान के पश्चात् पोल्ड ईवीएम तथा पोल्ड मतपेटिका को पदवार वज्रगृह में रखने का मॉडल रेखाचित्र

ZPS A			ZPS B		PSS A			PSS B		GPM A			GPM B		GPS A			GPS B		GKS/GKP A			GKS/GKP B	
1	2		1	2	1	2		1	2	1	2		1	2	1	2		1	2	1	2		1	2
3	4		3	4	3	4		3	4	3	4		3	4	3	4		3	4	3	4		3	4
5	6		5	6	5	6		5	6	5	6		5	6	5	6		5	6	5	6		5	6
7	8		7	8	7	8		7	8	7	8		7	8	7	8		7	8	7	8		7	8
9	10		9	10	9	10		9	10	9	10		9	10	9	10		9	10	9	10		9	10
11	12		11	12	11	12		11	12	11	12		11	12	11	12		11	12	11	12		11	12
13	14		13	14	13	14		13	14	13	14		13	14	13	14		13	14	13	14		13	14
15	16		15	16	15	16		15	16	15	16		15	16	15	16		15	16	15	16		15	16
17	18		17	18	17	18		17	18	17	18		17	18	17	18		17	18	17	18		17	18

संकेतः– **ZPS** जिला परिषद् सदस्य
PSS पंचायत समिति सदस्य
GPM ग्राम पंचायत मुखिया
HPS ग्राम पंचायत सदस्य
GKS ग्राम कचहरी सरपंच
GKP ग्राम कचहरी पंच

A, B } पंचायत

1,2,3,4,...................... मतदान केन्द्र संख्या